Government advised the State Government to collect 5,000 doses of vaccines against the diseases, from the Diseases, Delhi to which no response has been received from the State Government so far.

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् द्वारा अनुसंधान परियोजनाओं का क्रियान्वयन

1584. श्री सत्यनारायण जटिया : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसन्धान परियोजनाओं को भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद् द्वारा क्रियान्वित किया जाता है ;

(ख) क्या संस्थान ने ट्रैक्वेलाइजर्स तथा रेडिएशन्स के दबाव और भूमिका के बारे में किसी परियोजना की मंजूरी दी है ;

(ग) यदि हां, तो इसका स्थान कहां है और इसे किसके पक्ष में मंजूर किया गया है ;

(घ) क्या अनसन्धान के स्थानों पर इस विषय पर अनुसन्धान के लिए आवश्यक उपकरण और सुविधाएं उपलब्ध हैं और क्या किसी व्यक्ति को कोई अनुसन्धान छात्रवृत्ति दी गई है; यदि हां, तो किसको और कब;

(ङ) उक्त विषय पर अनुसन्धान करने वाले छात्रों को किन किन माह के लिए मासिक छात्रवृत्ति दी गई है और क्या भुगतान के लिए कोई राशि बकाया है ; और

(च) यदि हां, तो कितनी और इसका भुगतान कब किया जाएगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् ने डा० एस० एस० हसन, प्राध्यापक, प्राणि विज्ञान, गढ़वाल विश्वविद्यालय, पौड़ी गढ़वाल के अधीन "ट्रैंक्वेलाइजर्स तथा रेडिएशन्स के दबाव और भूमिका" नामक एक अनुसन्धान परियोजना मंजूर की है ।

(घ) गढ़वाल विश्वविद्यालय कैम्पस, पौड़ी के प्रिंसिपल ने परिषद् को इस आशय का वचन दिया है कि वे संस्थानिक आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करेंगे ।

परिषद् ने जूनियर रिसर्च फैलो का एक पद प्रतिमास चार सौ रुपये की निश्चित वृत्तिका पर स्वीकृत किया है । परिषद् ने स्वीकृत की गई अनुसन्धान परियोजनाओं के लिए अपने नियमों और विनियमों के अनुसार स्टाफ को नियुक्त करने के लिए संस्थान के अध्यक्ष को शक्तियां प्रत्यायोजित कर दी है । डा० एस० एस० हसन ने परिषद को यह सूचित कर दिया था कि उन्होंने 11 अगस्त, 1980 से जूनियर रिसर्च फैलो के रूप में श्री मोहन सिंह चौहान की सेवाएं प्राप्त कर ली हैं ।

(ङ) और (च). परिषद् द्वारा निर्धारित की गई प्रक्रिया के अनुसार धनराशि की मांग प्राप्त होने पर उसका भुगतान परिषद् द्वारा संस्थान के संबंधित अध्यक्ष को तीन किस्तों में सहायता अनुदान के रूप में किया जाता है । वर्तमान मामले में परिषद् ने गढ़वाल विश्वविद्यालय, पौड़ी गढ़वाल के प्रिन्सिपल को 4,050/- रुपये की रकम के सहायता अनुदान की दो किस्तों का (1600/- रुपये 28-8-80 को और 2450/- रुपये 20-9-80 को) पहले ही भुगतान कर दिया है । अन्वेषक से मांग प्राप्त होने पर परिषद् द्वारा चालू वर्ष के लिए सहायता अनुदान की अन्तिम किस्त का भुगतान कर दिया जाएगा ।